

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक:— प.10(193)नविवि / 3 / 10
 08.2010

जयपुर, दिनांक 10.

—: अधिसूचना :—

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर को श्री माधोपुर जिला सीकर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किये जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है:—

| क्र. स. | राजस्व ग्राम के नाम | Name of Village | तहसील |
|---------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | श्री माधोपुर | Shri Madhopur | श्री माधोपुर |
| 2 | खनीपुरा | Khanipura | श्री माधोपुर |
| 3 | हांसपुर | Haanspur | श्री माधोपुर |
| 4 | मऊ | Mau | श्री माधोपुर |
| 5 | भारनी | Bharni | श्री माधोपुर |
| 6 | बल्लू वाली | Ballu Wali | श्री माधोपुर |
| 7 | ढाणी चौधरीयावाली | Dhani Choudharyawali | श्री माधोपुर |
| 8 | जयरामपुरा—कल्याणपुरा | Jairampura-Kalyanpura | श्री माधोपुर |
| 9 | विजयपुरा | Vijaypura | श्री माधोपुर |
| 10 | नांगल भीम | Nangal Bhim | श्री माधोपुर |

राज्यपाल की आज्ञा से
 (पुरुषोत्तम बियाणी)
 शासन उप

सचिव—प्रथम

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना का राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, जयपुर जोन, जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, सीकर।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, श्री माधोपुर।
- 8- रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
 उप नगर
 नियोजक